LS INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Village-Bairsen, P.O.-Manjholi, Tehsil-Nalagarh,
Solan, Himachal Pradesh-174101, India
Corporate Identification No. L51505HP1993PLC031724 | **GSTIN**: 02AAACL1987E1ZT
Email Id: lsindustries93@gmail.com | **Phone No.**9805511297
Website: www.lsindustrieslimited.com

10th December 2025

To,

BSE Ltd.

Listing Department

Phiroz Jeejeebhoy Tower,

Dalal Street, Mumbai-400 001

Scrip Code: 514446

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of Newspaper Publication of AGM notice

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations''), we enclose the copies of following newspaper advertisements published on December 10, 2025, informing completion of dispatch of Notice of AGM along with the Annual Report of the Company for the F. Y. 2024-25 and e-voting information for AGM of the Company scheduled to be held on December 31, 2025 at 11.00 AM (IST):

Sr. No.	Name of Newspaper(s)	Edition(s)
1	Financial Express (English) Chandigarh	Edition English
2	Jansatta (Hindi) Chandigarh	Edition Hindi

This is for your information and records.

Thanking You,

For LS Industries Limited

Nipun Goyal
Digitally signed by Nipun Goyal
Date: 2025.12.10 13:34:36 +05'30'

Nipun Goyal

Designation: Managing Director

DIN-02853571

Place: Nalagarh

INDIAN EXPRESS GROUP

THE LATEST TRENDS IN BUSINESS

THE LATEST TRENDS IN TRENDS

FINANCIAL EXPRESS
Read to Lead

पंजाब नैशनल बैंक / punjab national bank

ARMB SOUTH DELHI,
4TH FLOOR, 7PNB HOUSE, BHIKAJI CAMA PLACE NEW DELHI-110066
Email : cs4168@pnb.bank.in

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

CORRIGENDUM

In the advt Published in this News Paper on 09.12.2025 on Page No. 27 regarding the E-Auction Sale of A/c - M/s Accord Furnishing Pvt. Ltd. Borrowers - 1. Mr. Ashwani Dixit 2. Mrs, Neerja Dixit and 3. Mr. Rajat Kumar Arora in property detail add this Matter " Case has been reported to CBI and Original documents of both property seized by CBI authority.
Rest remain the same.

Authorised Officer, Punjab National Bank

Classifieds

PERSONAL

It is for general information that I,A. RATNAKUMAR.S/O APPUKUTTAN,R/o H.No.A-14, Chitra Gupta-Road,Near Pahar Ganj Police-Station, PaharGanj,New Delhi-110055, declare that name of mine has been wrongly written as RATNA KUMARA in my Service-Record.The actual-name of mine is A. RATNAKUMAR,which may be amended accordingly.
0040827015-10

I,Tasleem Jahan,W/o Naseruddin Ansari,House No. 33,Gali No. 1,East Kamal Vihar,Karawal-Nagar, North-East Delhi,Delhi-110094,have changed my name to Tasleem Jaha permanently.
0040827015-2

I,Shameema W/o Rashid Khan R/o-2644,Gali Khajoor Wali,Kucha Chelan,Darya Ganj,New Delhi-110002,have changed my name to Shamima Begum permanently. 0040827015-6

I,Raes Ahmed S/o Abdul Razak R/o B-422 BLOCK-B,JJ COLONY TIGRI,DELHI-110062 have changed my name to Rayees Ahmad. 0040827015-7

I,Mohammed Shakeel S/o Mohammad Suhaleen R/o-788,Haveli Azam Khan,Chitli Qabar,Jama Masjid,Delhi-110006,have changed my name to Mohd Shakeel permanently. 0040827015-3

I, Vinay Prakash Sharma R/o Flat-E1401, Apex Athena, Plot-GH12A Ecocity, Sec-75, Noida have changed my minor son's name from Atharva Bhardwaj to Atharv Vinay Sharma.
0071006399-1

I, Deepa Sharma W/o Naveen Kumar R/o D1033, Street No.10, Ashok Nagar, Shahdara, Delhi have changed my name to Sandeepa for all purposes.
0071006397-1

I, Rajeev Kumar Singhal R/o C30, Govindpuram, Ghaziabad have changed my daughter name from Gunjan Singhal to Vanshika Singhal. 0071006387-1

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my clients Sh. Ravinder Kumar Sethi S/o Sh. Malik Chand Sethi and Smt. Asha Sethi W/o Sh. Ravinder Kumar Sethi R/o House No-65/29, Plot No-29, 2nd floor, Bloock-65, New Rohtak Raod, Petrol Pump, Karol Bagh, PO: Karol Bagh, Dist. Central Delhi, Delhi-110005, have severed all relations with their Son namely Akshay Sethi S/o Sh. Ravinder Kumar Sethi and His Wife namely Kashika W/o Akshay Sethi and have disowned & disinherited them from all their movable and immovable property due to unruly behaviour and out of control of my clients. Whatsoever deals with them in any manner, shall to do so at his/her own risk and consequences and my clients shall not be held liable for that.

Sd/-
Prem Kumar (Advocate)
Chamber No. 817, Lawyers Chamber Block, Dwarka Court, New Delhi-110075

NOTICE

I, Veena Haider & my sister Vidya Vishwakarma R/o Flat no. 1094 Sector 29 Noida Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 201301. I & my sister claimant of Reliance Industries Ltd, regd office. Maker chambers IV 3rd floor 222, Nariman Point Mumbai Maharashtra 400021, have lost share 1200 of face value 10, 300 no. Of share under folio no 009461299 with certificate no. 62650969, 300 no of shares with certificate no 54815969 to 54815974, 300 no of bonus share distinctive no 14042703695 to 14042704294. Finder may cont: 9811xx91xx

PUBLIC NOTICE

My Client, Tara Devi W/o Sh. Suraj Bhan R/o Khasra No. 40/6/2, Gali No. 13, Gautam Colony, Narela, Delhi-110040 has severed all relations with his son and daughter-in-law namely Suresh Kumar and Soniya both resident of Khasra No. 40/6/2, Gali No. 13, Gautam Colony, Narela, Delhi-110040. My client has disowned/ debarred both of them from all her movable and immovable properties with immediate effect. Anybody dealing with them will do so at his/her/their own risk and responsibilities and my client will not be responsible for his acts, deeds, or dealing done by them in future.

Ankur Kumar (Advocate)
Ch. No. 1416, Rohini Court, Delhi-85

PROPERTY

ACCOMODATION WANTED

INDUSTRIAL

Attention: Land Owners. Require land 25 to 50 acres Navi Mumbai Taloja Bhiwandi , Karjat Khopoli Khalapur Pune Bengaluru Chennai Kochi Hyderabad NCR Delhi Gurgaon MP 9820610837 0050279624-1

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

LS INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Village-Bairsen, P.O.-Manjholi, Tehsil-Nalagarh, Solan, Himachal Pradesh-174101, India
Corporate Identification No. L51505HP1993PLC031724 | GSTIN : 02AAACL1987E1ZT
Email Id: lsindustries93@gmail.com|Phone No.9805511297
Website: www.lsindustrieslimited.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 31st Annual General Meeting of the members of LS INDUSTRIES LIMITED will be held on Wednesday, 31st December, 2025 at 11.00 A.M. at the Registered Office at Village Bairsen P.O-Manjholi, Tehsil-Nalagarh, Solan-174101, to transact the business set out in the Notice of AGM sent to all shareholders.

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 101 of the Companies Act, 2013:

1. The **Notice of AGM**, **Annual Report for FY 2024-25**, and other relevant documents have been sent to the members at their registered email addresses and are also available on the Company's website at https://lsindustrieslimited.com/wp-content/uploads/2025/12/2025_AR_Final.pdf and on the websites of the Stock Exchange(s) where the Company is listed.
2. The Company has provided **remote e-voting facility** to its members pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and applicable rules thereunder.
   - The remote e-voting period shall commence on **Saturday, December 27, 2025** (09.00 AM) and end son **Tuesday, December 30, 2025** (5:00p.m.).
   - Members as on the **cut-off date December 07, 2025** may cast their vote electronically.
   - The e-voting module shall be disabled thereafter.
3. Members who have not received the Annual Report may download the same from the Company's website or may write to the Company at **lsindustries93@gmail.com** for a copy.

This Notice is being published pursuant to the requirements of the Companies Act, 2013 and SEBI (LODR) Regulations.

For LS Industries Limited
Sd/-
(NIPUN GOYAL)
Managing Director
DIN : 02853571

Place : Nalagarh
Date : 09.12.2025

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

Branch: Khurja
Email: cb18650@canarabank.com

POSSESSION NOTICE [SECTION 13(4)] (For Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the authorized officer of the Canara Bank, **Khurja Branch** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) (hereinafter refferred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a demand notice dated **13.12.2024** Calling upon the Borrower of the property **M/s Rajesh Kumar** (Borrower) Proprietor Rajesh Kumar, Regd Address: 127, Saray Shekh Alam 1 Khurja, Bulandshahr, Uttar Pradesh 203131, **Rajesh Kumar** S/o Ramesh Chandra (proprietor) R/o 127 Saray Sheikh Alam 1, Khurja Bulandshahr Uttar Pradesh - 203131, **Manju Gupta** W/o Ramesh Chandra Gupta (Guarantor) R/o 127 Saray Sheikh Alam 1, Khurja Bulandshahr Uttar Pradesh - 203131 to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 27,43,283.31 (Rupees Twenty Seven Lakhs Forty Three Thousand Two Hundred Eighty Three and paisa Thirty One only)** as on 13.12.2024 Within 60 days from date of receipt of the said notice with future interest and incidental charges w.e.f. 01.12.2024.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/surety/owner of the property and the public in general that the undersigned has taken **Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section 4 of Section 13 of the Act read with rule 8 & 9 of the Security (Enforcement) Rules, 2002 on this **09th day of December of the year 2025.**

The borrower/surety/owner of property in particular and in public general are hereby cautioned not to deal with the security and/or property and any dealings with the security property will be subject to the charge of the Canara Bank, Khurja Branch for an amount of **Rs. 27,43,283.31 (Rupees Twenty Seven Lakhs Forty Three Thousand Two Hundred Eighty Three and paisa Thirty One only)** As on 13.12.2024 plus interest and incidental expenses incurred by bank w.e.f. 01.12.2024.

The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13 (8) of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Description Of The Immovable Properties

1. Residential House Measuring 57.52 sqm And First Floor Covered Area 37.91 Sqm Situated At Mohalla Burj Usman Khan, Tehsil Khurja, District Bulandshahr, Uttar Pradesh, Owned By Rajesh Kumar S/o Ramesh Chandra, **Bounded As Below: North:** House Of Jaykumar, **South:** House Of Yogendra Sharma, **East:** Rasta 5 Feet Wide, **West:** House Of Chandra Pal.

2. Residential House At H.No. 127 Measuring 32 Sqm Situated At Mohalla Sarai Sheikh Alam, Tehsil Khurja, District Bulandshahr, Uttar Pradesh, Owned By Manju Gupta W/o Ramesh Chandra Gupta, **Bounded As Below: North:** Rasta 4' Wide, **South:** House Of Amir Chand, **East:** House Of Mavasi, **West:** House Of Ramji Lal.

Date: 09.12.2025 **Place: Khurja** **Authorized Officer, Canara Bank**

Indian Overseas Bank

PREET VIHAR BRANCH
A-172, Near Narula Market, Preet Vihar, New Delhi-110092
PH : 011-22524928, 22521207 E-mail Id : iob1305@iob.in

Date : 09-12-2025

POSSESSION NOTICE
(for immovable property) [(Rule 8(1)]

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the Indian Overseas Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated **27.05.2025** calling upon the borrowers / mortgagors / guarantors **Mr. Gaurav Sharma S/o Mr. Yog Raj Sharma & Mrs. Ritu Sharma W/o Mr. Gaurav Sharma** (hereinafter referred as "borrowers"), R/o: M-12. B/3, Dilshad Garden, Aggarwal Street, Dilshad Garden, East Delhi-110095, Also at: Flat No. B-18/S-1, Second Floor, Dilshad Colony, Jhilmil, East Delhi, Delhi-110095, Also at: Flat No. A-125/S-3 (at Second Floor), A-125, Dilshad Colony, Delhi-110095 to repay the amount mentioned in the notice being **Rs.25,33,953.05 (Rupees Twenty-Five Lakhs Thirty-Three Thousand Nine Hundred Fifty-Three and Five Paisa)** as on **26.05.2025** with further interest at contractual rates and rests, charges etc till date of realization within 60 days from the date of receipt of the said notice.

(1) The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this **9th day of December of the year 2025.**

(2)The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Indian Overseas Bank for an amount of **Rs.25,33,953.05 (Rupees Twenty-Five Lakhs Thirty-Three Thousand Nine Hundred Fifty-Three and Five Paisa)** as on **26.05.2025** with interest thereon at contractual rates & rests as agreed, charges etc., from the aforesaid date mentioned in the demand notice till date of payment less repayments, if any, made after issuance of Demand Notice. The current dues payable as on 09.12.2025 is **Rs.26,56,390.05 (Rupees Twenty-Six Lakhs Fifty-Six Thousand Three Hundred Ninety and five paisa)** payable with further interest at contractual rates & rests, charges etc., till date of payment.

(3)The borrowers' attention is invited to provisions of Sub-section (8) of the Section 13 of the Act, in respect of time available to them, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Built-up Free Hold Flat Bearing No. A-125/S-3, on second floor, with Roof Rights, Area Super Covered 450/- Sq. Ft. i.e. 41.81 Sq. Mtrs., under LIG Category, One Dwelling Unit, with the common Rights of Stairs, Passage & Otther Common Facilities, Built on Plot No. A-125, Out of Khasra no.1076/5/2/135, situated at Dilshad Extn. No. 1, now known as Dilshad Colony, in the area of Village Jhilmil Tahirpur, Illaqa Shahdara, Delhi-110095, together with the undivided proportionate free hold Rights of the land underneath, standing in the name of Mr. Gaurav Sharma & Mrs. Ritu Sharma.

The property is bounded as under:
East: Plot No. A-124 West: Road
North: Road South: Service Lane

Dated: 09.12.2025 **Sd/- Authorised Officer**
Place: Delhi **Indian Overseas Bank**

BANK OF INDIA

Bank of India
Relationships beyond banking

RAJENDRA PLACE BRANCH

APPENDIX IV
(Rule 8(1))
POSSESSION NOTICE
(For Immovable Property)

Whereas,

The undersigned being the Authorised Officer of the **Bank of India, Rajendra Place** branch under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated **24th September 2025** calling upon the borrowers **Mr. Jagdeep Singh and Mrs. Avinash Kaur** residing at D-31, UG-4, Rajouri Garden, New Delhi 110027and guarantor, **Mrs. Manjeet Sawhney residing at C-41, Rajouri garden, New Delhi 110027**, to repay the amount mentioned in the notice being **Rs.7,72,776.00 plus interest thereon @ 14.75% p.a. w.e.f. 22.09.2025 within 60 days from the date of the receipt of the said notice.**

The borrower/guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002 on this the **2nd day of December of the year 2025.**

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property/ies will be subject to the charge of the **Bank of India, Rajendra Place** for the amount of **Rs.7,72,776 (seven lakh seventy two thousand seven hundred seventy six plus interest thereon @14.75% p.a. w.e.f. 22.09.2025)** with costs etc. thereon.

The borrower attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Security

Property owned by : Mr. Jagdeep Singh
All that part and parcel of property located at Flat No. UG-4, (having super area 750 sq. ft) a part of property bearing No. D-31, Rajouri Garden, New Delhi-110027 and a common Car parking space on Ground Floor registered in the name of Sh. Jagdeep Singh.

Boundaries of the property for floor :
Towards North : Other Property
Towards South : Road/Entry
Towards East : House No. D-30
Towards West : House No. D-32

Date : 02.12.2025 **Authorized Officer**
Place : Delhi **Bank of India**

केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कहा

कांग्रेस के समय में भी हुआ था मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

कहा, वो करें तो ठीक, हम करें तो खराब। *चुनावों* में बार-बार हार ने विपक्ष को हताशा से भर दिया है।

कांग्रेस के शासनकाल में छह से सात बार विशेष गहन पुनरीक्षण की (एसआइआर) प्रक्रिया लागू की गई थी। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। कांग्रेस के समय कितनी बार एसआइआर हुआ, वो करें तो ठीक, हम करें तो खराब। यह कैसा विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि 'चुनाव सुधारों पर चर्चा' में कहा कि बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर ने 'एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य' का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और आज उसी के आधार पर एसआइआर की जा रही है, जिसके अनुसार पात्र मतदाता रहें और अपात्र लोगों के नाम हट जाएं।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूचियों की शुद्धता और अखंडता बनाये रखना आवश्यक है। इसके लिए समय-समय पर गहन पुनरीक्षण और समरी (संक्षिप्त) पुनरीक्षण किये जाते हैं और दोहरी प्रविष्टि हटाकर पारदर्शिता लाई जाती है। हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ-साथ सभी राजनीतिक दलों के लोग निर्वाचन आयोग की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं, लेकिन यहां उसके खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि यह कैसा विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय छह से सात बार एसआइआर की प्रक्रिया हुई है और आखिरी बार यह कवायद 2002 में हुई थी।पिछले लगभग दो दशक से अधिक समय में तेजी से शहरीकरण, शिक्षा और रोजगार के लिए पलायन एवं विस्थापन आदि के कारण इस प्रक्रिया की अब जरूरत समझी गई। उन्होंने कहा कि चुनावों में बार-बार हार ने विपक्ष को हताशा से भर दिया है, इनके पास कोई बहाना नहीं है इसलिए कभी इवीएम में, कभी एसआईआर में इन्हें गड़बड़ी दिखती है। सच यह है कि इन्हें अपनी कमी नहीं दिखती। इसके चलते भारत की जनता ने इन्हें पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इसके नेता चुनाव सुधारों को लेकर भाजपा पर आरोप लगाते हैं लेकिन विपक्षी दल के लोग आजादी के बाद से ही 'वोट चोरी से बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा-शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' कानून का जिक्र करते हुए इसकी आलोचना की, इसका उद्देश्य चुनाव आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करना है।

संविधान में भी लिखा है कि चुनाव आयुक्त को भी न्यायाधीश की तरह हटाना है, इसलिए हमने संशोधन किया।

देश भर में एक लाख 80 हजार पहुंची आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या

नई दिल्ली, 9 दिसबंर (ब्यूरो)।

देशभर में संचालित हो रहे आयुष्मान आरोग्य मंदिर की संख्या बढ़कर एक लाख 80 हजार से अधिक हो गई है। एएएम पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार 31 अक्तूबर तक इनकी संख्या 180906 रही। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के 12 पैकेज प्रदान किए जा रहे हैं। इसमें प्रजनन एवं शिशु देखभाल सेवाएं, संक्रामक रोग, गैर-संक्रामक रोग (एनसीडी), उपशामक देखभाल और वृद्धजन देखभाल, सामान्य मानसिक विकारों की देखभाल, तंत्रिका संबंधी स्थितियां (मिर्गी, मनोभ्रंश) और मादक द्रव्य सेवन विकार प्रबंधन (तंबाकू, शराब, ड्रग) सहित अन्य शामिल हैं। साथ ही जरूरत के आधार पर आवश्यक दवाओं और निदानों की सूची का विस्तार किया गया है ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों-एएएम में 172 दवाएं और 63 निदान और राज्य स्वास्थ्य केंद्रों-एएएम में 106 दवाएं और 14 निदान उपलब्ध कराए जा सकें।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने का मामला

जालसाजी के दावे वाली याचिका पर सोनिया गांधी और पुलिस को नोटिस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और पुलिस से मतदाता सूची में जालसाजी से नाम शामिल किए जाने के आरोपों वाली याचिका पर जवाब मांगा।

याचिका में मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें इस आरोप की जांच से इनकार कर दिया गया था कि 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल करने से तीन साल पहले ही सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में था।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने मजिस्ट्रेट अदालत के 11 सितंबर के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। मजिस्ट्रेट अदालत ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि शिकायत के आरोप अपर्याप्त तथ्य वाले और इस मंच के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए, न्यायाधीश गोगने ने मामले की अगली सुनवाई छह जनवरी के लिए सूचीबद्ध की। यह पुनरीक्षण याचिका राउज एवेन्यू अदालत के 'सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन' के उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता विकास त्रिपाठी द्वारा दायर की गई थी।

त्रिपाठी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष आरोप लगाया था कि जनवरी 1980 में गांधी का नाम नयी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के रूप में जोड़ा गया था, जबकि वह भारतीय नागरिक नहीं थीं। उन्होंने 'जालसाजी और धोखाधड़ी' का दावा किया था।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, RENU BALA, W/O SANJIV KUMAR, RESIDENT OF L-704, AMRAPALI SAPPHIRE GH-01, SECTOR-45, NOIDA G.B NAGAR, UP 201301, HAVE CHANGED MY NAME FROM RENU BALA TO RENU BALA KALIA. HENCEFORTH I WOULD BE KNOWN BY THE NAME OF RENU BALA KALIA FOR ALL FUTURE PURPOSES. 0040825770-2

PUBLIC NOTICE

I, Syed Mujahid Hussain Kazmi alias SMH Kazmi S/o Late Mr. Syed Zulfiqar Kazmi alias ZH Kazmi do hereby inform to general public that both SYED MUJAHID HUSSAIN KAZMI and SMH KAZMI are the same person. That my name appeared in Adhar Card is SMH Kazmi and the name appeared in Pan Card is Syed Mujahid Hussain Kazmi. I further declare that I retired as Director (FI) from Directorate Extension, Ministry of Agriculture, Government of India in January 2013 and getting pension from the government. My name appeared in my CGHS Card is SMH Kazmi. It is further informed that my wife Late Smt. Nasrin Kazmi (PPO NO. 698981300060) expired on 10.03.2025. She retired in January 2013 from Government of NCT Delhi and was getting pension till her death. That after death of my wife, as per Pension Rule, I became eligible for family pension of my wife which has not been released to me till date. Considering all these facts, if anybody has any interest in the matter, if any, they may file their objections with Central Pension Accounting Office, Department of Expenditure, Ministry of Finance, Bhikaji Kama Place, New Delhi-110066 within 30 days from the date of Publication of this Public Notice failing which it will be presumed that there is no objection in the matter and I, being the authorised claimant of Family Pension would be free to approach the Central Pension Accounting Office for the release of Family Pension of my wife. This notice has been issued to remove the ambiguity with respect to my name appeared in different documents and claim for family pension of my wife Late Smt. Nasrin Kazmi and also for record.

Syed Mujahid Hussain Kazmi alias SMH Kazmi, H1/15, Shiksha Apartment, Sector-6, Vasundhra, Ghaziabad-201012 Mobile No. 9868150170

MASOOD RAZA (ADVOCATE) CH NO. 135, SAKET COURT, NEW DELHI

तिरुपति से शिरडी के लिए शुरू हुई सीधी ट्रेन सेवा

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (ब्यूरो)।

आंध्र प्रदेश की दक्षिण तटीय पट्टी स्थित तिरुपति से शिरडी के लिए पहली सीधी ट्रेन सेवा मंगलवार से शुरू हुई। मंगलवार को रेल राज्यमंत्री वी सोमन्ना ने रेल भवन से हरी झंडी दिखाकर तिरुपति-साईनगर शिरडी एक्सप्रेस को रवाना किया। इस ट्रेन की मदद से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा।

साथ ही श्रद्धालुओं आसानी से दोनों जगहों पर पहुंच सकेंगे। इस मौके पर मंत्री सोमन्ना ने बताया कि इस साप्ताहिक ट्रेन से तीर्थयात्री करीब 30 घंटे में एक तरफ का सफर पूरा कर सकेंगे। आज भारतीय रेल सिर्फ परिवहन का माध्यम नहीं है। यह देश की जीवन रेखा के रूप में क्षेत्रों और संस्कृतियों को जोड़ती भी है। शुरू हुई नई ट्रेन सेवा नेल्लोर, गुंटूर, सिकंदराबाद, बीदर और मनमाड़ समेत 31 महत्वपूर्ण स्थानों पर रुकेगी। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन से तीर्थ पर्यटन और संपर्क को बढ़ावा मिलने के साथ मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

न्यायमूर्ति स्वामीनाथन को हटाने का प्रस्ताव

कांग्रेस, द्रमुक समेत विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

कांग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पार्टी और कई अन्य विपक्षी दलों ने 'कार्तिगई दीपम' मामले में फैसला देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. आर. स्वामीनाथन को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उनका आचरण न्यायपालिका की निष्पक्षता, पारदर्शिता और धर्मनिरपेक्ष कार्यप्रणाली के संबंध में गंभीर सवाल खड़े करता है।

यह प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, द्रमुक नेता टी आर बालू तथा कई अन्य नेता शामिल थे। विपक्ष द्वारा दिए गए इस नोटिस पर 107 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं।

नोटिस में कहा है कि न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन का आचरण न्यायपालिका की निष्पक्षता, पारदर्शिता और धर्मनिरपेक्ष कार्यप्रणाली के संबंध में गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसा लगता है कि इस मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता एम. श्रीचरण रंगनाथन को अनुचित तरीके से लाभ दिया गया और साथ ही एक विशेष समुदाय के अधिवक्ताओं का भी पक्ष लिया गया। विपक्ष ने यह दावा भी किया गया है कि विशेष राजनीतिक विचारधारा के आधार पर और भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के विरुद्ध मामलों का निर्णय किया गया। इस बीच, वामपंथी दलों ने आरोप लगाया कि धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद पैदा कर तमिलनाडु में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

माकपा, भाकपा, भाकपा (माले), रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी(आरएसपी) और आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक (एआईएफबी) ने इस मुद्दे पर मदुरै के सांसद सु. वेंकटेशन को निशाना बनाने की निंदा की।

द्रमुक का आरोप है कि न्यायाधीश के फैसले के बाद भाजपा द्वारा सांप्रदायिक टकराव की स्थिति पैदा की गई है।

गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने दरगाह के पास स्थित मंदिर में 'कार्तिगई दीपम' जलाने की अनुमति देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।

उच्चतम न्यायालय ने तिरुपरमकुंद्रम में स्थित पत्थर के एक दीप स्तंभ 'दीपथून' में दरगाह के निकट अरुलमिघु सुब्रमणिय स्वामी मंदिर के श्रद्धालुओं को परंपरागत ''कार्तिगई दीपम' का दीपक जलाने की अनुमति देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए पांच दिसंबर को सहमति जताई थी।

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने चार दिसंबर को मदुरै के जिला कलेक्टर और शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा दायर एक अंतर-न्यायालयी अपील खारिज कर दी और एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें श्रद्धालुओं को दीपथून में 'कार्तिगई दीपम' दीप जलाने की अनुमति दी गई थी।

LS INDUSTRIES LIMITED
Registered Office: Village-Bairsen, P.O.-Manjholi, Tehsil-Nalagarh, Solan, Himachal Pradesh-174101, India
Corporate Identification No. L51505HP1993PLC031724 | GSTIN : 02AAACL1987E1ZT
Email Id: lsindustries93@gmail.com|Phone No.9805511297
Website: www.lsindustrieslimited.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 31st Annual General Meeting of the members of LS INDUSTRIES LIMITED will be held on Wednesday, 31st December, 2025 at 11.00 A.M. at the Registered Office at Village Bairsen P.O-Manjholi, Tehsil-Nalagarh, Solan-174101, to transact the business set out in the Notice of AGM sent to all shareholders.
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 101 of the Companies Act, 2013:

1. The **Notice of AGM, Annual Report for FY 2024-25**, and other relevant documents have been sent to the members at their registered email addresses and are also available on the Company's website at https://lsindustrieslimited.com/wp-content/uploads/2025/12/2025_AR_Final.pdf and on the websites of the Stock Exchange(s) where the Company is listed.
2. The Company has provided **remote e-voting facility** to its members pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and applicable rules thereunder.
   o The remote e-voting period shall commence on **Saturday, December 27, 2025** (09.00 AM) and end son **Tuesday, December 30, 2025** (5:00p.m.).
   o Members as on the **cut-off date December 07, 2025** may cast their vote electronically.
   o The e-voting module shall be disabled thereafter.
3. Members who have not received the Annual Report may download the same from the Company's website or may write to the Company at **lsindustries93@gmail.com** for a copy.

This Notice is being published pursuant to the requirements of the Companies Act, 2013 and SEBI (LODR) Regulations.

For LS Industries Limited
Sd/-
(NIPUN GOYAL)
Managing Director
DIN : 02853571

Place : Nalagarh
Date : 09.12.2025

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अजय कुमार, श्री विजय कुमार व श्री विनित कुमार पुत्रगण श्री राजवीर सिंह द्वारा प्राधिकरण से स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या 17/01 के अन्तर्गत विकासकर्ता श्री मनमोहन नाथ व श्री चन्द्र शेखर से क्रय किये गये भूखण्ड संख्या 39, 40, 46, 47 कुल क्षेत्रफल 1342.13 वर्ग मी० उक्त चारो भूखण्ड का एक बाउन्ड्रीवाल निर्मित कर पहुंच मार्ग मवाना रोड पर प्रस्तावित है एवं कालोनी से कोई मार्ग प्रस्तावित नहीं है, प्रश्नगत भूखण्डों पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का एक आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना है।

अतः जनसामान्य/हितबद्ध व्यक्तियों को उक्त स्थल पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की स्थापना एवं मानचित्र स्वीकृत किये जाने में यदि कोई आपत्ति/सुझाव हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर लिखित रूप से मुख्य नगर नियोजक के कार्यालय में उपलब्ध करा सकते है। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/ सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(अजय कुमार, आदि) गंगा नगर, मेरठ।

राष्ट्रपति ने 48 शिल्पकारों और डिजाइनर को किया सम्मानित

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (ब्यूरो)।

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को विज्ञान भवन में साल 2023 और 2024 के लिए 48 मास्टर शिल्पकार व डिजाइनर को शिल्प गुरु और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

समारोह में कुल 48 पुरस्कार प्रदान किये गए। इसमें 12 शिल्प गुरु पुरस्कार, 36 राष्ट्रीय पुरस्कार, जिनमें 2 डिजाइन और नवाचार पुरस्कार (कारीगर-डिजाइनर सहयोग) शामिल हैं। पुरस्कार विजेताओं में 20 महिला कारीगर हैं। पुरस्कार विजेताओं में लकड़ी का काम, धातु शिल्प, मिट्टी की माडलिंग, जूट शिल्प, हाथ से मुद्रित वस्त्र, पट्टचित्र, कलात्मक वस्त्र, चमड़े की कठपुतली, टेराकोटा, बेंत और बांस, पत्थर की नक्काशी, कागज की लुगदी, कालीन, खिलौने, गुड़िया, कठपुतलियां आदि सहित शिल्प की विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने वाले कारीगर शामिल रहे।

इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के कारीगर भारत की सांस्कृतिक ताने-बाने के जीवंत सूत्र और राष्ट्र की कलात्मक विरासत के सच्चे संरक्षक हैं। कारीगरों ने पीढ़ियों से परंपराओं को बदलाव का विरोध करके नहीं, बल्कि अपने शिल्प की प्रामाणिकता को बनाए रखते हुए नए बाजारों, तकनीकों और विकसित होती रुचियों के अनुकूल ढलकर संरक्षित किया है। हस्तशिल्प क्षेत्र ग्रामीण आजीविका, महिला सशक्तीकरण और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने कहा कि हस्तशिल्प देश में, विशेष रूप से महिलाओं और हाशिए के समुदायों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोजगार सृजन क्षेत्रों में से एक है। वस्त्र राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने कहा कि यह समारोह केवल एक पुरस्कार समारोह नहीं, बल्कि भारतीय कारीगरों की उल्लेखनीय यात्रा का उत्सव है।

आयोजन लाल किले और दिल्ली की खास इमारतों को सजाया जाएगा

आज मनाई जाएगी विशेष दीपावली

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

राजधानी दिल्ली में 10 दिसंबर को दीपावली के भव्य आयोजन की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इस अवसर पर लाल किला और अन्य प्रमुख ऐतिहासिक व सरकारी इमारतों को दीयों और प्रकाशमय सज्जा से रोशन किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इस आयोजन का समन्वय स्थापित किया है।

संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा के अनुसार, केवल केंद्र सरकार के स्मारक ही नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार की इमारतों को भी विशेष रूप से सजाया जाएगा। लाल किला, कुतुबमीनार, सफदरजंग मकबरा, हुमायूं मकबरा, पुराना किला, जंतर-मंतर सहित सभी ऐतिहासिक स्मारकों को दीयों से सजाया जाएगा और मुख्य द्वार सहित परिसर के विशेष स्थानों पर रंगोली भी बनाई जाएगी। लाल किले के आसपास चांदनी चौक में रंगोली सजाई जाएगी और आतिशबाजी का आयोजन भी किया जाएगा।

दरअसल, इस आयोजन को मनाए जाने का मुख्य कारण यह है कि दीपावली को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने की संभावना है। भारत ने मार्च 2024 में इस प्रस्ताव को यूनेस्को को सौंपा था।

यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर-सरकारी समिति (आइसीएच) की वार्षिक बैठक 8 से 13 दिसंबर के बीच लाल किले में आयोजित हो रही है। समिति के 20वें सत्र के दौरान यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए लगभग 80 देशों द्वारा प्राप्त कुल 67 नामांकनों पर विचार करेगी और चुनिंदा विरासतों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा। भारत की ओर से दीपावली का प्रस्ताव एजंडे में 24वें नंबर पर है और इसे 9-10 दिसंबर को विचार के लिए रखा जाएगा। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो 10 दिसंबर को लाल किले को दीपों से जगमगाकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया जाएगा। इस अवसर पर देशभर के अन्य विश्व धरोहर स्थलों को भी दीयों से सजाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय / प्रधान कार्यालयः जीआईसीएचएफएल नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग 6वीं मंजिल, 14, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400020. दूरभाष संख्या- 022-43041900.
ईमेलः, corporate@gichf.com वेबसाइटः www.gichfindia.com
जीआईसीएचएफएल शाखा कार्यालय का पता - 3सी सेंटर कोर्ट बिल्डिंग, 5 पार्क रोड, थापर हाउस के पास, हजरतगंज लखनऊ - 226001, कार्यालय दूरभाषः 0522-4080610,
संपर्क विवरणः 7004571817, शाखा मेल आईडीः Lucknow@Gichfindia.com, अधिकृत अधिकारी का नाम/संपर्क संख्याः सचिन सिंह - 9453761287

ई-नीलामी बिक्री सूचना

ई-नीलामी तिथिः 09-01-2026 / बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिः 08-01-2026

चूंकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जीआईसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें उक्त नोटिस में उल्लिखित बकाया देय राशि चुकाने के लिए कहा गया है। हालाँकि, उधारकर्ता/बंधककर्ता उक्त देय राशि चुकाने में असफल रहा है, इसलिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

क्रमांक संख्या	उधारकर्ता/सह उधारकर्ता/गारंटर के नाम/ ऋण फाइल संख्या/शाखा का नाम	संपत्ति का पता और संपत्ति का क्षेत्रफल विवरण (निर्मित)	मांग नोटिस जारी करने की तिथि	कब्जे की तिथि	08.12.2025 तक कुल बकाया (पीओएस, ब्याज और अन्य शुल्क सहित) (रुपये में)	आरक्षित मूल्य (रुपये में)
1	UP0380600101769 /मोहम्मद नईम और तारा बानो / लखनऊ शाखा	प्लॉट नंबर 2 खसरा नं. 112, फरीदीपुर, वार्ड-कनहिया माधोपुर लखनऊ - 226101, क्षेत्र 1000 एसएफ	18-06-2008	प्रतीकात्मक	रु. 32,97,282/-	रु. 8,11,000/-

ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 09-01-2026 को वेब-पोर्टल (https://www.bankauctions.in) पर अपराह्न 3.00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ।
ईएमडी और केवाईसी के साथ निर्धारित निविदा फॉर्म में निविदा/सीलबंद बोली जमा करने की अंतिम तिथि ऑनलाइन मोड के माध्यम से या उपर्युक्त जीआईसीएचएफ कार्यालय में 08-01-2026 को शाम 5.00 बजे से पहले है।
उपरोक्त परिसंपत्तियों/संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री के लिए इस सार्वजनिक सूचना के अलावा (सरफेसी अधिनियम 2002 और उसके तहत नियमों के नियमों और शर्तों के अनुसार) जीआईसीएचएफएल उक्त संपत्तियों को ''जहां है जैसा है'' और ''जो है जैसा है जैसा है'' के आधार पर खरीदने के लिए सीलबंद लिफाफे में या ऑनलाइन मोड में प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैंः-

1. ई-नीलामी 'जहां है, जैसा है', 'जो है, जो है', 'जो भी है' और 'बिना किसी सहारे के' के आधार पर आयोजित की जा रही है, और इसे "ऑनलाइन" आयोजित किया जाएगा। ई-नीलामी जीआईसीएचएफएल द्वारा अनुमोदित नीलामी सेवा प्रदाता "मेसर्स .4 क्लोजर" के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम **https://bankauctions.in**/ पोर्टल पर पंजीकृत करना चाहिए और अपना यूजर-आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता "मेसर्स .4 क्लोजर", रु 605 ए, 6वीं मंजिल मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद - 500038, तेलंगाना से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। कार्यालय लैंडलाइन नंबरः 040-23736405, बैकएंड टीमः 8142000062 / 66, श्री प्रकाश - 8142000064 / 8142000725, **prakash@bankauctions.in**, श्री नितेश पवार, प्रबंधक, मुंबई, नंबरः 8142000725, मेल आईडीः **Nitesh@bankauctions.in** संपत्ति संबंधी पूछताछ, संपर्क विवरणः सचिन सिंह - 9453761287
3. ई-नीलामी बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियम 2002 में निर्धारित शर्तों और नीचे/वेबसाइट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है, साथ ही इच्छुक/भाग लेने वाले बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव/बोली दस्तावेजों में शर्तों के अधीन है।
4. ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए प्रत्येक बोलीदाता के पास अपना स्वयं का ईमेल पता होना आवश्यक है।
5. एक बार जब इच्छुक बोलीदाता जीआईसीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी के समक्ष एक योग्य निविदाकर्ता के रूप में औपचारिक रूप से पंजीकृत हो जाता है, तो उसे दस्तावेज जमा करके ई-नीलामी बोली मंच के माध्यम से भाग लेने के लिए अपनी रुचि व्यक्त करनी होगी। ई-नीलामी सेवा प्रदाता से अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना निविदाकर्ता/ऑनलाइन बोलीदाता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।
6. उपरोक्त संपत्तियों को ऊपर उल्लिखित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
7. इच्छुक बोलीदाताओं को जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में डीड/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से उपरोक्त संबंधित आरक्षित मूल्य के 10प्रतिशत की दर से बयाना राशि जमा (ईएमडी) जमा करना आवश्यक है। बैंक विवरण इस प्रकार हैः बैंक का नामः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्याः 005111010000039 - खाता नामः जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड नीलामी खाता, शाखा का नामः एलसीबी, फोर्ट पताः यूबीआई, 239 बैकबे रिक्लेमेटियो नरीमन पॉइंट मुंबई महाराष्ट्र पिनकोड 400021. आईएफएससी कोड - यूबीआईएन0800511।
8. सफल बोलीदाता/ओं के मामले में उक्त जमा राशि समायोजित की जाएगी, अन्यथा वापस कर दी जाएगी। उक्त बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
9. उक्त बयाना राशि जमा (ईएमडी) के साथ प्रस्ताव/प्रस्तावों को सेवा प्रदाता को ईएमडी और पैन कार्ड और पते के प्रमाण सहित केवाईसी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति के साथ **https://bankauctions.in**/ पोर्टल के माध्यम से "ऑनलाइन" प्रस्तुत किया जा सकता है या बोली फॉर्म, ईएमडी और केवाईसी दस्तावेजों से युक्त सीलबंद लिफाफे के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है और यह ईएमडी जमा करने की नियत तारीख को या उससे पहले जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालयों में पहुंच जाना चाहिए।
10. निविदाएं खोलने के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं, जिन्होंने आरक्षित मूल्य से कम पर अपनी बोलियां प्रस्तुत नहीं की हैं, को प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर बोली राशि बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा।
11. सफल बोलीदाता/बोलीदाताओं को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए बिक्री मूल्य की 25प्रतिशत राशि जमा करानी होगी, अन्यथा जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। बिक्री मूल्य का शेष 75प्रतिशत बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर पूरी तरह से प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर देय है। निर्धारित अवधि के भीतर शेष राशि जमा न करने की स्थिति में जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी को सफल बोलीदाता को जब्ती की कोई और सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी।
12. बोली लगाने वाले ''कैविएट एम्प्टर'' (खरीदार सावधान) के सिद्धांत से बंधे हैं और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे फर्म या सुरक्षित संपत्ति के किसी भी प्रकार के भार, वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर, आयकर, उत्पाद शुल्क, श्रम शुल्क, बिजली और रखरखाव शुल्क आदि का पता लगाने के लिए स्वयं उचित परिश्रम करें। सफल बोली लगाने वालों को सभी आउटगोइंग यानी नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसायटी शुल्क, बिजली शुल्क, पानी शुल्क, स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, (यदि लागू हो), यदि कोई हो और सभी अन्य आकस्मिक शुल्क, बिक्री मूल्य के अलावा संबंधित संपत्तियों से संबंधित सभी आउटगोइंग लागतों को वहन करना होगा...
13. सफल बोली लगाने वाले को बिक्री प्रमाण पत्र पर देय शुल्क/फीस जैसे पंजीकरण शुल्क, स्टांप ड्यूटी, कर, या सुरक्षित संपत्ति को अपने नाम पर स्थानांतरित करने के लिए देय कोई अन्य शुल्क वहन करना चाहिए।
14. बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम पर और संपूर्ण बिक्री मूल्य प्राप्त होने के बाद ही जारी किया जाएगा।
15. उधारकर्ता/ओं, बंधककर्ता/ओं और गारंटर/ओं को यह सूचना दी जाती है कि वे नीलामी बिक्री की शर्तों और नियमों के अनुसार, ऊपर उल्लिखित संपत्तियों को खरीदने के लिए इच्छुक खरीदार/क्रेता को ला सकते हैं।
16. उपर्युक्त संपत्तियों का निरीक्षण अनुरोध पर और प्राधिकृत अधिकारी की सुविधा के अनुसार दिया जा सकता है।
17. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव या किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
18. जीआईसीएचएफएल ऊपर उल्लिखित संपत्तियों पर लंबित किसी भी देयता के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी ''जहां है जैसी है'', ''जो है जैसी है'', ''जो कुछ भी है'' और बिना किसी सहारा के आधार पर की जाएगी।
19. यदि उधारकर्ता/बंधककर्ता बिक्री की पुष्टि से पहले जीआईसीएचएफएल से संपर्क करते हैं, तो अनुबंध संबंधी बकाया. व्यय. बिक्री की घोषणा की तिथि से 15प्रतिशत की दर से ब्याज. + खरीद राशि का 5प्रतिशत (बिक्री के बाद के मामले में जो सफल बोलीदाता को भुगतान किया जाना है) और बिक्री को रद्द करने का अनुरोध करते हैं, तो जीआईसीएचएफएल राशि स्वीकार करेगा और बंधककर्ता को कब्जा सौंप देगा।
20. उच्चतम बोली लगाने वाले को बिक्री नोटिस के अनुसार बोली राशि का 25प्रतिशत (जमा की गई बयाना राशि सहित) तुरंत देना होगा और बोली राशि का शेष 75प्रतिशत 15 दिनों में या पार्टियों (एओ और सफल बोली लगाने वाले) के बीच सहमत किसी अन्य विस्तारित अवधि में देय होगा। हालांकि, अधिकृत कार्यालय को बिक्री की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद बिक्री प्रमाण पत्र की पुष्टि करनी होगी और किसी भी मामले में बिक्री की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति से पहले बिक्री की पुष्टि नहीं की जानी चाहिए। पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के बाद ही बिक्री की पुष्टि की जाएगी और बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
21. न्यूनतम बोली वृद्धि मूल्य 10,000/- रुपये है।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री सूचना।

बिक्री की विस्तृत शर्तों और संपत्तियों के पूर्ण विवरण के लिए कृपया अनुमोदित ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स 4 क्लोजर की वेबसाइट और **https://bankauctions.in** वेबसाइट देखें।

जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक : 10.12..2025
स्थान : लखनऊ